समक्ष - मुकुल मुदगल, सी.जे. और अजय तिवारी जे

रतन राम (मृतक) के माध्यम से उसका कानूनी उत्तराधिकारी - अपीलकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और अन्य - उत्तरदाता

LPA No. 556 of 1997 &
LPA No. 634 of 1997 in
CWP No. 1596 of 1984

26 जुलाई. 2010

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- याचिकाकर्ता की पत्नी को विवेकाधीन कोटे से एलआईजी मकान आवंटित किया गया-याचिकाकर्ता एमआईजी मकान-आवंटन के लिए आवेदन कर रहा है-याचिकाकर्ता हलफनामा दायर कर रहा है कि न तो उसके पास और न ही उसके परिवार के किसी आश्रित गुरु के पास चंडीगढ़ में कोई संपत्ति है-के खिलाफ शिकायत अपीलकर्ता-सिविल कोर्ट द्वारा दी गई प्रथागत तलाक की डिक्री के आधार पर अपनी पत्नी से अलग होने का दावा करने वाला याचिकाकर्ता-आवंटित मकानों के लिए याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी एक-दूसरे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर रहे हैं-याचिकाकर्ता तलाक की डिक्री के बाद भी नामांकन बदलने में विफल रहे-आवंटन रद्द करना और जब्त करना जमा राशि का - एकल न्यायाधीश ने तलाक के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे पर अविश्वास किया, लेकिन इस आधार

पर याचिका स्वीकार कर ली कि रद्द करने का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था - विकास अधिकारी केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित रद्द करने के आदेश की सूचना दे रहा है - संविधान का अनुच्छेद 226 पर्याप्त न्याय करने के लिए है और किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता प्रदान न करना जो साफ हाथों से अदालत में नहीं आता है - याचिकाकर्ता के अन्यायपूर्ण आचरण के कारण उसे अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपचार प्राप्त करने से वंचित करने के कारण याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए थी।

अभिनिर्णित - पूरा लेन-देन किसी न किसी तरह से गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को बनाए रखने का एक उपकरण था। प्रतिवादी द्वारा विवाह विच्छेद की घोषणा के लिए आईटीआईसी मुकदमा केवल 23 अक्टूबर, 1982 को दायर किया गया था। 14 सितंबर 1982 की शिकायत की प्राप्ति में बदलाव करें। 1982 15 सितंबर को प्रतिवादी के कार्यालय में। 'यह स्वयं मुकदमे की प्रेरित प्रकृति को दर्शाता है जो तथ्यों के दमन के आधार पर दोहरे आवंटन को बनाए रखने का एक उपकरण मात्र था। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि जब अपीलकर्ता ने हलफनामा दायर किया था, तब भी उसने स्वयं यह दर्शाया था कि एक जीवित विवाह अस्तित्व में था, जिसने उसे आवेदन करने के लिए भी अयोग्य बना दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम के मद्देनजर केवल एक सक्षम न्यायालय ही वैध तलाक दे सकता है।

(पैरा 3)

इसके अलावा अभिनिर्णित - विकास अधिकारी ने केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित रद्दीकरण आदेश की सूचना दी है। अन्यथा भी संविधान का अनुच्छेद 226 पर्याप्त न्याय करने के लिए है और जो व्यक्ति साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आता है, उसे सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार, अपीलकर्ता की रिट याचिका को उसके अन्यायपूर्ण आचरण के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था, जो उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपाय प्राप्त करने से वंचित करता है।

(पैरा 4 एवं 5)

सरवन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एस. रापरी. 1997 के एलपीए संख्या 556 में अपीलकर्ता के लिए वकील और 1997 के एलपीए संख्या 634 में प्रतिवादी के लिए वकील।

मुकुल मुदगल, सी.जे.

(1) ये दोनों अपीलें एक ही आदेश से उत्पन्न हुई हैं और इसलिए इनका निर्णय संयुक्त रूप से किया जा रहा है। पार्टियों का विवरण 1997 के एलपीए नंबर 556 से लिया गया है।

(2) 'अपीलकर्ता ने वर्ष 1977 में प्रतिवादी द्वारा विज्ञापित एक एमआईजी घर के लिए आवेदन किया था। वर्ष 1979 में अपीलकर्ता की पत्नी को विवेकाधीन कोटा से एक आईजेजी घर आवंटित किया गया था। 22 अगस्त के पत्र द्वारा। 1980 में अपीलार्थी को एक एमआईजी

मकान भी आवंटित किया गया। उक्त आवंटन पत्र के अनुसार अपीलकर्ता को एक हलफनामा दायर करना था कि न तो उसके पास और न ही उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के पास चंडीगढ़ में कोई संपत्ति है। अपीलकर्ता द्वारा उक्त शपथ पत्र दाखिल करने तथा अन्य नियम एवं शर्तों को पूरा करने पर मकान अपीलकर्ता के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया।

(3) 15 सितंबर, 1982 को अपीलकर्ता के खिलाफ इस तथ्य के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसने एक गलत हलफनामा दायर किया था कि उसके परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य के पास चंडीगढ़ में कोई संपत्ति नहीं है (जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उसकी पत्नी को पहले ही आवंटित किया जा चुका है)। घर।) 23 अक्टूबर को। 1982 में याचिकाकर्ता ने उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गढ़शंकर की अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उसकी शादी 6 जनवरी, 1980 को 'प्रथागत तलाक' द्वारा भंग कर दी गई थी। उसकी पत्नी ने आकर दावा स्वीकार कर लिया, उक्त मुकदमा डिक्री कर दिया गया था। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी दोनों ने उन्हें आवंटित मकानों के लिए एक-दूसरे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था और कथित तलाक के बाद भी नामांकन नहीं बदला गया था। अंततः प्रतिवादी द्वारा 12 अगस्त, 1982 को नोटिस जारी किया गया जिसमें अपीलकर्ता को कारण बताने के लिए कहा गया कि क्यों न उसके पक्ष में आवंटन रद्द कर दिया जाए और उसकी जमा राशि जब्त कर ली जाए। अपीलकर्ता ने जवाब दाखिल किया लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ।

प्रतिवादी-बोर्ड ने अपीलकर्ता के संस्करण पर अविश्वास करते हुए, आवंटन रद्द करने और उसके द्वारा जमा की गई पूरी राशि जब्त करने का आदेश पारित किया। उस रद्दीकरण को एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने तलाक के संबंध में अपीलकर्ता के दावे पर अविश्वास करते हुए भी इस आधार पर याचिका को स्वीकार कर लिया कि विवादित आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था। जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क का संबंध है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने तलाक पर अविश्वास करके गलती की है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। जाहिर है कि पूरा लेन-देन किसी न किसी तरह गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को बरकरार रखने का एक तरीका था। प्रतिवादी द्वारा विवाह विच्छेद की घोषणा के लिए मुकदमा 15 सितंबर, 1982 को प्रतिवादी के कार्यालय में 14 सितंबर, 1982 की शिकायत की प्राप्ति के काफी बाद 23 अक्टूबर, 1982 को दायर किया गया था। यह स्वयं प्रेरित को दर्शाता है मुकदमे की प्रकृति, जो तथ्यों को छुपाने के आधार पर दोहरे आवंटन को बनाए रखने का एक उपकरण मात्र था। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि जब अपीलकर्ता ने हलफनामा दायर किया था, तब भी उसने स्वयं यह दर्शाया था कि एक जीवित विवाह अस्तित्व में था, जिसने उसे आवेदन करने के लिए भी अयोग्य बना दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम के मद्देनजर

केवल एक सक्षम न्यायालय ही वैध तलाक दे सकता है। इस प्रकार, 1997 की एलपीए संख्या 556 को खारिज किया जाना चाहिए।

(4) बोर्ड द्वारा की गई अपील के संबंध में विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि केवल इसलिए कि आदेश पर विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, फिर भी चूंकि मसौदा आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह नहीं माना जा सकता कि आदेश अमान्य था। इस प्रकार यह मानना होगा कि विकास अधिकारी ने केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश की सूचना दी है। अन्यथा भी संविधान का अनुच्छेद 226 पर्याप्त न्याय करने के लिए है और जो व्यक्ति साफ़ हाथों से अदालत में नहीं आता है, उसे सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए और न ही की जानी चाहिए। शिव शंकर दल मिल्स बनाम हरियाणा राज्य[1] में, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

> "अनुच्छेद 226 एक असाधारण उपाय प्रदान करता है जो अनिवार्य रूप से विवेकाधीन है, हालांकि कानूनी चोट पर आधारित है। यह अदालत के लिए पूरी तरह से खुला है, इस लचीली शक्ति का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित के निर्देशों और इक्विटी परियोजनाओं के रूप में ऐसे आदेश पारित करने के लिए:

समानता की अदालतें सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए राहत देने और रोकने के लिए बहुत आगे जा सकती हैं और अक्सर ऐसा करती भी हैं, बजाय इसके कि वे वहां जाने के आदी

[1] (1980) 2 SCC 437

हैं जहां केवल निजी हित शामिल होते हैं। तदनुसार, राहत देना या रोकना उचित रूप से सार्वजनिक हित के विचार पर निर्भर हो सकता है।

(5) इस प्रकार अपीलकर्ता की रिट याचिका को उसके असमान आचरण के कारण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपाय प्राप्त करने से वंचित करने के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

(6) इन परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा 1997 की एलपीए संख्या 634 वाली अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उस सीमा तक जिस हद तक वह प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देता है, रद्द कर दिया जाता है और 21 मार्च का आदेश दिया जाता है। उत्तरदाताओं द्वारा पारित 1984 को बहाल किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)